# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:—19/2024
निर्णय दिनांकः—30.05.2024
बइजलासः— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. विष्णु मीणा पुत्र स्व० श्री लल्लू राम मीणा
2. बाबूलाल मीणा पुत्र स्व० श्री लल्लू मीणा

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादी

अधिवक्ता :— श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील श्री वादीगण
पैरोकार सरकार
वाद घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

निर्णय दिनांक 30.05.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादगस्त आराजी खतौनी सं० 151 के आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0न0 271/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, ख०न० 274 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, ख0न0 277 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख०न० 278 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, ख०न० 280 रकबा 0. 3414 हैक्टेयर, ख0न0 281 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख0न0 283 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, ख0न0 284 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख०न० 332 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, ख०न० 333 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, ख0न0 334 रकबा 0.7966 हैक्टेयर, ख0न0 335 रकबा 0. 6828 हैक्टेयर, ख0न0 336 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, ख0न0 337 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, ख0न0 338 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख०न० 339 रकबा 4.4131 हैक्टेयर, ख0न0 354 रकबा 0.9610 हैक्टेयर, ख०न० 355 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, ख0न0 356 रकबा 1.8462 हैक्टेयर, ख0न0 508/5 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, ख0न0 517 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, ख0न0 518 रकबा 2.4658 हैक्टेयर कुल किता 23 कुल रकबा 15.8190 हैक्टेयर, व खाता संख्या 195 के आराजी ख०न० 259 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख0न0 266 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, ख०न० 340 रकबा 2.9084 हैक्टेयर, ख0न0 341 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, ख०न० 342 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.7809 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में

लगातार...............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा करवाते चले आ रहे है। विवादगस्त आराजी वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुयी है, वरवक्त विरासत का नामान्तकरण संख्या 825 दिनांक 20.09.2010 को तस्दीक करते समय वादीगण नाबालिक थे, इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम के आगे नाबालिक दर्ज कर संरक्षक प्राकृतिक माता अनोख देवी पत्नि लल्लू दर्ज कर दिया गया। तथा वरवक्त नामान्तकरण भरते समय घरेलू बोलता नाम राकेश के नाम से गलत भर दिया गया था, क्योकि वादी स01 वरवक्त विरासत के नामान्तकरण भरते समय नाबालिक था तथा गांव के व परिवार के लोगों ने घर पर प्यार से बोले जाने नाम राकेश के नाम से ही विरासत का नामान्तकरण पटवार हल्का से भरवाकर तस्दीक करवा दिया गया, जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादी सं01 का नाम राकेश ही चला आ रहा है। लेकिन वादी सं01 उसके दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, व विद्यालय रिकार्ड व कक्षा—10 की अंक तालिका में वादी स01 का रिकार्डेड नाम विष्णु दर्ज है। है। जबकि वादी सं01 का सही नाम विष्णु मीणा है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था परन्तु वादी स01 को सामान्य बोलचाल व घर में प्यार से राकेश कहते थे इसलिये सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी सं01 का नाम विष्णु मीणा के स्थान पर राकेश दर्ज कर दिया गया जो गलत है. इसलिये न्यायहित में वादी सं0 1 का नाम राकेश के स्थान पर विष्णु मीणा राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादी सं01 को राकेश व विष्णु मीणा, दोनों नामों से ही जाना जाता है, जबकि दोनों नामों का मैं वादी सं01 एक ही व्यक्ति हूँ, इस नाम के अलावा इस ग्राम में इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति नही है एवं वादीगण के राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, व कक्षा—10 की अंक तालिका, आदि से पूर्णतया सिद्ध होता है कि मैं वादी सं01 विष्णु मीणा ही राकेश हूँ, इसलिये विद्यालय व अन्य अन्य रिकार्ड में वादी सं01 का नाम विष्णु मीणा होने के कारण राजस्व रिकार्ड में भी राकेश के स्थान पर विष्णु मीणा पुत्र लल्लू मीणा दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्य है। वादीगण वरवक्त नामान्तकरण नाबालिक थे, इसलिये रिकार्ड में वादीगण का नाम जरिये सरक्षक माता अनोख देवी पत्नि स्व० लल्लू लाल के नाम से खोला गया था, लेकिन अब वादीगण वर्तमान में बालिक हो चुके है। इसलिये वादीगण के नाम के आगे दर्ज नाबालिक राकेश बाबूलाल पिसरान लल्लू जरिये सरक्षक सरपरस्त स्वंय अनोख पत्नि स्व० लल्लू के स्थान पर बालिग विष्णु मीणा, बाबूलाल मीणा पिसरान स्व० लल्लूराम जाति मीणा राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादीगण उक्त

लगातार.....................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

(3)

आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी है। वादीगण ने उक्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी सं01 का नाम राकेश दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी सं01 का वास्तविक नाम विष्णु मीणा पुत्र लल्लूराम मीणा है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था। सहवन से वादी सं01 का नाम विष्णु के स्थान पर राकेश दर्ज हो गया है, एवं वर्तमान में वादीगण बालिक हो चुके है, इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादीगण के आगे नाबालिक दर्ज होने से वादीगण को राज्य सरकार से देयलाभो से वचिंत होना पड रहा है एवं अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम विष्णु मीणा है तथा वादीगण वर्तमान में बालिक हो चुके है जो उनके दस्तावेजों से बखूबी प्रमाणित होता है, इसलिये वादी सं0 1 का नाम राकेश के स्थान पर विष्णु मीणा एवं वादीगण नाबालिक राकेश, बाबूलाल पिसरान लल्लू जरिये संरक्षक सरपरस्त स्वंय अनोख पत्नि स्व० लल्लू के स्थान पर बालिग विष्णु मीणा, बाबूलाल मीणा पिसरान स्व० लल्लूराम जाति मीणा दुरूस्त करवाने के कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 10.03.2024 को वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का को कहां कि कि मुझ वादी सं01 का नाम राजस्व रिकार्ड में विष्णु मीणा के स्थान पर राकेश गलत दर्ज है. जिसे सहीं किया जावें जिस पर पटवारी हल्का ने राकेश के स्थान पर विष्णु मीणा सही नाम करने से इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादीगण द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण का वाद कारण दिनाक 10.03.2024 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादीगण का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार फागी स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये एवं जबाब नही देकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सहमति जाहिर की।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

लगातार....................4

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम श्रीरामगंज के खाता सं0 151 मे वादी का नाम नाबालिग राकेश पुत्र लल्लू संरक्षक सरपरस्त संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व0 लल्लू हिस्सा 1/36 जाति मीणा सा. देह खातेदार व नाबालिग बाबूलाल पुत्र लल्लू संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व. लल्लू हिस्सा 1/36 जाति मीणा सा. देह खातेदार एवं खाता सं. 195 मे नाबालिग राकेश पुत्र लल्लू संरक्षक सरपरस्त संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व0 लल्लू हिस्सा 1/288 जाति मीणा सा. देह खातेदार व नाबालिग बाबूलाल पुत्र लल्लू संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व. लल्लू हिस्सा 1/288 जाति मीणा सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादीगण को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये विरासत नामान्तकरण सं0 825 दिनांक 20.09.2010 के द्वारा प्राप्त हुई है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात मे वादी का नाम विष्णु मीणा पुत्र लल्लू मीणा जन्मदिनांक 10.08.2002 व बाबूलाल मीणा पुत्र लल्लूराम मीणा जन्मदिनांक 01.01.2004 अंकित है। तहसीलदार फागी भी वादीगण वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे वादीगण के राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, व कक्षा–10 की अंक तालिका, आदि से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादीगण वर्तमान मे बालिक हो चुके है तथा वादीगण का सही नाम विष्णु मीणा व बाबूलाल मीणा पुत्रान लल्लू मीणा है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादगस्त आराजी खतौनी सं० 151 के आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0न0 271/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, ख०न० 274 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, ख0न0 277 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख०न० 278 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, ख०न० 280 रकबा 0. 3414 हैक्टेयर, ख0न0 281 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख0न0 283 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, ख0न0 284 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख०न० 332 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, ख०न० 333 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, ख0न0 334 रकबा 0.7966 हैक्टेयर, ख0न0 335 रकबा 0. 6828 हैक्टेयर, ख0न0 336 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, ख0न0 337 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, ख0न0 338 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख०न० 339 रकबा 4.4131 हैक्टेयर, ख0न0 354 रकबा 0.9610 हैक्टेयर, ख०न० 355 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, ख0न0 356 रकबा 1.8462 हैक्टेयर, ख0न0 508/5 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, ख0न0 517 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, ख0न0 518 रकबा 2.4658 हैक्टेयर कुल किता 23 कुल रकबा 15.8190 हैक्टेयर, व खाता संख्या 195 के आराजी ख०न० 259 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख0न0 266 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार..................5

0.1138 हैक्टेयर, ख0न0 340 रकबा 2.9084 हैक्टेयर, ख0न0 341 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, ख०न० 342 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.7809 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन नाबालिग राकेश पुत्र लल्लू संरक्षक सरपरस्त संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व0 लल्लू जाति मीणा के स्थान पर विष्णु मीणा पुत्र लल्लूराम मीणा जाति मीणा सा0देह व व नाबालिग बाबूलाल पुत्र लल्लू संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व. लल्लू जाति मीणा के स्थान पर बाबूलाल मीणा पुत्र लल्लूराम जाति मीणा सा0देह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीगण को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने – अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

विष्णु बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 19/2024
निर्णय दिनांक:– 30.05.2024

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)**

**बइजलास– राकेश कुमार ıı (आर.ए.एस.)**

उनवान

1. विष्णु मीणा पुत्र स्व० श्री लल्लू राम मीणा
2. बाबूलाल मीणा पुत्र स्व० श्री लल्लू मीणा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

**::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–**

मु0न0:– 19/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री प्रेमचन्द शर्मा हाजिर रूबरू पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादगस्त आराजी खतौनी सं० 151 के आराजी खसरा नम्बर 269 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख0न0 271/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, ख०न० 274 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, ख0न0 277 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख०न० 278 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, ख०न० 280 रकबा 0. 3414 हैक्टेयर, ख0न0 281 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख0न0 283 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, ख0न0 284 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख०न० 332 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, ख०न० 333 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, ख0न0 334 रकबा 0.7966 हैक्टेयर, ख0न0 335 रकबा 0. 6828 हैक्टेयर, ख0न0 336 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, ख0न0 337 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, ख0न0 338 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, ख०न० 339 रकबा 4.4131 हैक्टेयर, ख0न0 354 रकबा 0.9610 हैक्टेयर, ख०न० 355 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, ख0न0 356 रकबा 1.8462 हैक्टेयर, ख0न0 508/5 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, ख0न0 517 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, ख0न0 518 रकबा 2. 4658 हैक्टेयर कुल किता 23 कुल रकबा 15.8190 हैक्टेयर, व खाता संख्या 195 के आराजी ख०न० 259 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख0न0 266 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, ख०न० 340 रकबा 2.9084 हैक्टेयर, ख0न0 341 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, ख०न० 342 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.7809 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन नाबालिग राकेश पुत्र लल्लू संरक्षक सरपरस्त संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व0 लल्लू जाति मीणा के स्थान पर विष्णु मीणा पुत्र लल्लूराम मीणा जाति मीणा सा0देह व व नाबालिग बाबूलाल पुत्र लल्लू संरक्षक स्वयं अनोख पत्नि स्व. लल्लू जाति मीणा के स्थान पर बाबूलाल मीणा पुत्र लल्लूराम जाति मीणा सा0देह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीगण को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने – अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

निज Nil मुबलिग Nil बाबत Nil खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह Nil फीसदी Nil सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक Nil का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/5/2024 को जारी की गई।

दस्तखत......................

मुहर

सत्यमेव जयते

ओहदा....................

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबुत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | Nil | खर्चा गवाहान | | Nil |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

30/5/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू